

प्रार्थी बैंक प्रकरण संख्या 12/2022 (GCMS : 2022/16) मुथुट हॉम फिन
(इन्डिया) लिमिटेड कार्यालय 1201 एवं 1202 12th फ्लोर, लॉटस कॉरपोरेट पार्क,
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुम्बई-400063 एवं शाखा कार्यालय 501,
5th फ्लोर, लुहाडिया टॉवर, अहिस सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत
अधिकारी विरेन्द्र सिंह राठौड बनाम 1. जयचन्द पुत्र मोहनलाल निवासी वार्ड
नं. 7, 2 एम फुसेवाला पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर - 335038
2. विमला पत्नी जयचन्द निवासी वार्ड नं. 7, 2 एम फुसेवाला पंचायत समिति
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

02.03.2022



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव मिठा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी जयचन्द एवं विमला को ऋण सुविधा के रूप में 5,05,325/- रुपये (अखरे रुपये पांच लाख पांच हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) का ऋण दिनांक 31.12.2018 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी जयचन्द ने अपनी सम्पत्ति आवासीय मकान का पट्टा नम्बर 100 दिनांक 03.07.2017 (क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) वार्ड नं 7, 2एम फूसेवाला प.स. करणपुर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 07.02.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.03.2021 को 5,26,576/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का दिनांक 15.03.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया है।



जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी जयचन्द द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय मकान का पट्टा नम्बर 100 दिनांक 03.07.2017(क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) वार्ड नं 7, 2एम फूसेवाला प.स. करणपुर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी जयचन्द एवं विमला को 5,05,328/- रुपये (अखरे रुपये पांच लाख पांच हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी जयचन्द द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति आवासीय मकान का पट्टा नम्बर 100 दिनांक 03.07.2017(क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) वार्ड नं 7, 2एम फूसेवाला प.स. करणपुर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **07.02.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.03.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के **रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 24.03.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह

सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी जयचन्द ने अपनी सम्पत्ति आवासीय मकान का पट्टा नम्बर 100 दिनांक 03.07.2017(क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) वार्ड नं 7, 2एम फूसेवाला प.स. करणपुर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 15.03.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.03.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी जयचन्द एवं विमला को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 24.03.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **अप्रार्थी जयचन्द** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी मुथुट हॉम फिन(इण्डिया) लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2021 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई सम्पत्ति आवासीय मकान का पट्टा नम्बर 100 दिनांक 03.07.2017(क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर) वार्ड नं 7, 2एम फूसेवाला प.स. करणपुर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर